सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 96/15 **निर्णय दिनांकः—01.05.2018**

1. चुनीराम
2. लालचन्द

पुत्रगण नेहरूराम पुत्र टीकूराम जाति नायक निवासी शेरपुरा तहसील लूणकरनसर हाल निवासी चक 19 एमकेडी तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 18—11—2015
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर

उपस्थितः—

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के निर्णय व डिक्री दिनांक 18—11—2015 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा तथ्यों व कानून के विपरीत जाकर खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट/वादीगण के दादा स्व. टीकूराम पुत्र चतराराम के नाम मौजारोही शेरपुरा तहसील लूणकरनसर में संवत् 2011 से संवत् 2013 तक खसरा नम्बर 1105/435 में 52 बीघा भूमि, खसरा नम्बर

642/349 में 14 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 645/352 में 7 बीघा इस प्रकार कुल 87 बीघा भूमि कब्जे काश्त में थी। उक्त भूमि तत्कालीन राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी में रही। अपीलांट के दादा जब तक जीवित थे तब तक वादगत् भूमि उनके कब्जे काश्त में थी तथा उनके निधन के उपरान्त वादगत् भूमि स्व. टीकूराम के वारिसान के कब्जे काश्त में चली गई।

उन्होंने आगे बताया कि ग्राम शेरपुरा का संवत् 2017 से 2025 के मध्य भू–प्रबन्ध किया गया था। तत्समय उपरोक्त वर्णित पुराना खसरा नम्बर 1105/435 के बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 754 तादादी 14 बीघा 4 बिस्वा तथा बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 755 तादादी 36 बीघा 3 बिस्वा कुल तादादी 50 बीघा 7 बिस्वा बने। उक्त तथ्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से साबित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजों पर कोई गौर किये बिना ही निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। वादगत् भूमि भू–प्रबन्ध के पश्चात् उपनिवेशन क्षेत्र में आने पर उक्त तादादी 50 बीघा 7 बिस्वा भूमि चक 19 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 181/1, 181/2, 181/3 व 181/4 में विभिन्न मुरब्बा नम्बर व किला नम्बर में परिवर्तित होकर सूची नं. 4 व 8 में वादीगण/अपीलांट के दादा के नाम बनी जिसमें से मुरब्बा नम्बर 182/2 के किला नम्बर 3 ता 9, 11 ता 25 तादादी 21 बीघा 14 बिस्वा भूमि को छोड़कर शेष भूमि अन्य को आवंटित कर दी गई। लेकिन मुरब्बा नम्बर 182/2 के किला नम्बर 3 ता 9, 11 ता 25 तादादी 21 बीघा 14 बिस्वा भूमि अपीलांट/वादीगण क कब्जे काश्त में निरन्तर चली आ रही है। चूंकि उक्त भूमि वादीगण/अपीलांट के दादा की संवत् 2011 से पूर्व कब्जे काश्त की गैर खातेदारी भूमि थी। इसलिए उक्त भूमि कानूनन आराजीराज दर्ज नहीं की जा सकती थी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलांट अपने दादा की सरप्लस भूमि को आवंटन नियमों के तहत पुख्ता आवंटन करवाने के हकदार थे व है। इसलिए उक्त भूमि को पुख्ता आवंटन हेतु सक्षम धोषित कराने का वादीगण ने दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। जो दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से साबित होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का दावा खारिज करने

में कानूनी भूल कारित की है। अदालत मातहत द्वारा जो तनकीयात् कायम की गई है उक्त तनकीयात् वाद के मध्येनजर सही कायम नहीं की गई एवं जो तनकीयात् कायम की गई थी उनकी सही विवेचना भी अदालत मातहत द्वारा नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में यह अभिलिखित किया गया है कि वादगत् भूमि एसीसी के आदेश के अनुसार आराजीराज दर्ज की गई है। उक्त आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। अदालत मातहत की उक्त व्याख्या प्रकरण की वस्तुस्थिति के मद्देनजर गलत व्याख्या की गई है क्योंकि वादगत् भूमि अपीलांट के दादा की गैरखातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी जिसे सरप्लस धोषित करवाने एवं पुख्ता आवंटन हेतु धोषणात्मक वाद लाया जा सकता है। जिसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान निहित है तथा जिसके लिए कोई मियांद बाधक नहीं है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट के दादा की कब्जे काश्त की गैरखातेदारी भूमि रही है।

अदालत मातहत ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर किये बिना व बिना विस्तृत विवेचन किये ही आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा इस महत्पवपूर्ण बिन्दु पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलांट/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष तमाम दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे जिनके आधार पर अपीलांट वादगत् भूमि चक 19 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 181/2 के किला नम्बर 3 ता 9 व 11 ता 25 तादादी 21 बीघा 14 बिस्वा भूमि को सक्षम करवाते हुए धोषणा करवाने के अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त करते हुए अपीलांट को वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी के अनुसार अपीलांट/वादीगण के दादा के नाम कुल 73 बीघा भूमि संवत् 2025 तक रहा है। अपीलांट/वादीगण द्वारा वादगत् भूमि तीन खसरों में 87 बीघा भूमि बताई गई है। जोकि गलत तथ्य प्रस्तुत किया गया है। पुराना खसरा

नम्बर 642/349 व 645/352 के नये खसरा नम्बर 199 तादादी 36.15 बीघा नहीं बने है। खसरा नम्बर 199 पुराने खसरा नम्बर 435 मिन से बना है। अपीलांट/वादीगण द्वारा सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 435 में 52 बीघा, खसरा नम्बर 642/349 में 14 बीघा व खसरा नम्बर 645/352 में 7 बीघा कुल 73 बीघा रकबा होना बताया गया है जो पुराने खसरा नम्बर 435 के खसरा नम्बर 198 में 36.15 बीघा, खसरा नम्बर 755 में 36.07 इस प्रकार कुल 73 बीघा के बराबर वादीगण के दादा के नाम गैर खातेदार दर्ज कर दी गई है एवं खसरा नम्बर 948 में 13.12 बीघा भूमि टीकूराम के नाम खातेदारी दे दी गई है। इस प्रकार वादगत् भूमि से अपीलांट/वादीगण का कोई सरौकार नहीं है नाही वादगत् भूमि पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा आगे कथन किया गया कि मुरब्बा नम्बर 181/2 तादादी 21 बीघा भूमि एसीसी के आदेश दिनांक 04—06—1976 की पालना में आराजीराज दर्ज की गई है। अपीलांट/वादीगण द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। जबकि अपीलांट/वादीगण को एसीसी के आदेश दिनांक 04—06—1976 के विरूद्व अपील प्रस्तुत करते हुए चाराजोई करनी चाहिए थी। अपीलांट/वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि संवत् 2013 या उससे पूर्व में उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही हो। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई त्रूटि कारित नहीं की गई है। अपीलांट की अपील आधारहीन व दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से काबिल खारिज है। अतः अपीलांट की अपील खारिज करते हुए आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट/वादीगण द्वारा दावा धोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती व प्राप्त करने चिर अस्थाई

निषेधाज्ञा बाबत् खसरा नम्बर 754, 755 तादादी 22 बीघा हाल चक 19 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 181/2 के किला नम्बर 3 ता 9, 11 ता 25 तादादी 22 बीघा भूमि बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनिमय के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादीगण का वाद खारिज किये जाने के फलस्वरूप उक्त अपील अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट/वादीगण के दादा स्व. टीकूराम पुत्र चतराराम के नाम मौजारोही शेरपुरा तहसील लूणकरनसर में संवत् 2011 से संवत् 2013 तक खसरा नम्बर 1105/435 में 52 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 642/349 में 14 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 645/352 में 7 बीघा इस प्रकार कुल 87 बीघा भूमि कब्जे काश्त में थी। ग्राम शेरपुरा का संवत् 2017 से 2025 के मध्य भू–प्रबन्ध किया गया था। तत्समय उपरोक्त वर्णित पुराना खसरा नम्बर 1105/435 के बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 754 तादादी 14 बीघा 4 बिस्वा तथा बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 755 तादादी 36 बीघा 3 बिस्वा कुल तादादी 50 बीघा 7 बिस्वा बने।

वादगत् भूमि भू–प्रबन्ध के पश्चात् उपनिवेशन क्षेत्र में आने पर उक्त तादादी 50 बीघा 7 बिस्वा भूमि चक 19 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 181/1, 181/2, 181/3 व 181/4 में विभिन्न मुरब्बा नम्बर व किला नम्बर में परिवर्तित होकर सूची नं. 4 व 8 में वादीगण/अपीलांट के दादा के नाम बनी जिसमें से मुरब्बा नम्बर 182/2 के किला नम्बर 3 ता 9, 11 ता 25 तादादी 21 बीघा 14 बिस्वा भूमि को छोड़कर शेष भूमि अन्य को आवंटित कर दी गई। लेकिन मुरब्बा नम्बर 182/2 के किला नम्बर 3 ता 9, 11 ता 25 तादादी 21 बीघा 14 बिस्वा भूमि अपीलांट/वादीगण के कब्जे काश्त में निरन्तर चली आ रही है। चूंकि उक्त भूमि वादीगण/अपीलांट के दादा की संवत् 2011 से पूर्व कब्जे काश्त की गैर खातेदारी भूमि थी जिसकी धोषणा करवाने का अपीलांट/वादीगण कानूनन अधिकारी है।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व निर्णय का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में अभिलिखित तथ्यों के आधार पर निम्नानुसार तनकी कायम की गई ।

1. आया वादगत् भूमि चक 19 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 181/2 तादादी 22 बीघा वादीगण के दादा की संवत् 2013 से पूर्व की होने के कारण वादीगण खातेदार, गैरखातेदार विकल्प में पुख्ता आवांटन कराने के पात्र धोषित करवाने के हकदार है।

2. आया वादीगण यह धोषणा करवाने का हकदार है कि वादग्रस्त भूमि को उपनिवेशन विभाग ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आराजीराज दर्ज किया है, उक्त कृत्य अवैद्य, शून्य एवं निष्प्रभावी है।

3. आया वादीगण वादगत् भूमि की विपरीत कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी विकल्प में गैर खातेदारी हकों की धोषणा कराने एवं तदनुसार राजस्व रिकार्ड में आराजीराज की जगह अपने नाम दुरूस्त करवाने के हकदार है।

4. आया वादीगण वादगत् भूमि बाबत् प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा के हकदार है।

5. आया वादीगण के दादा के नाम सेटलमेंट से पूर्व 73 बीघा गैरखातेदारी भूमि थी, जो सेटलमेंट के बाद हुई, जिसकी खातेदारी दे दी गई इसलिए वादीगण वादगत् भूमि की खातेदारी, गैर खातेदारी प्राप्त करने के हकदार नहीं है।

6. आया वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण को एसीसी के निर्णय दिनांक 04—07—1976 के विरूद्व अपील प्रस्तुत करनी थी।

7. आया वादीगण का वाद मिथ्या कथनों पर आधारित होने के कारण वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है। दावा काबिल खारिज है।

(4) प्रकरण में तनकी संख्या को साबित करने का भार अपीलांट/वादीगण पर था। अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि संवत् 2013 से पूर्व अपीलांट/वादीगण के दादा के नाम होने के कारण अपीलांट खातेदार, गैरखातेदार विकल्प में पुख्ता आवंटन के पात्र है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व रिकार्ड प्रस्तुत

नहीं किया गया है। जबकि उक्त तनकी पूर्णतया राजस्व रिकार्ड पर आधारित थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट उक्त तनकी को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वादगत् भूमि सवंत् 2013 से पूर्व अपीलांट/वादीगण के दादा के नाम दर्ज होना साबित करता हो।

(5) तनकी संख्या 1 के संबंध में स्टेट के जवाब में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि अपीलांट/वादीगण के दादा के नाम सेटलमेंट से पूर्व की 73 बीघा भूमि गैरखातेदारी दर्ज कर दी गई है एवं खसरा नम्बर 948 की 13.12 बीघा भूमि टीकूराम के नाम खातेदारी प्रदान कर दी गई है। अपीलांट/वादीगण द्वारा इसका कोई खण्डन नहीं किया गया है। अतः उक्त तनकी अपीलांट/वादीगण के विरूद्व तय करने में अदालत मातहत द्वारा कोई त्रूटि कारित नहीं की गई है।

(6) तनकी संख्या 2 के संबंध में कथन है कि वादगत् भूमि मुरब्बा नम्बर 181/2 तादादी 21 बीघा भूमि एसीसी के आदेश दिनांक 04—06—1976 द्वारा आराजीराज दर्ज की गई थी। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलांट/वादीगण द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई। अपीलांट/वादीगण यदि वादगत् भूमि पर अपने हक व हकूक मानते है तो उन्हें उक्त आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत करते हुए चाराजोई करनी चाहिए थी। अपीलांट/वादीगण द्वारा एसीसी के आदेश दिनांक 04—06—1976 के विरूद्व कोई अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश अंतिम हो चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी अपीलांट/वादीगण के खिलाफ तय किये जाने में अदालत मातहत द्वारा कोई गलती नहीं की है।

(7) प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट/वादीगण का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि संवत् 2013 से पूर्व अपीलांट/वादीगण के दादा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने व कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी विकल्प में गैर खातेदारी हकों की धोषणा करवाने के अधिकारी है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा गिरदावरी, जमाबन्दी, वादगत् भूमि की मौका रिपोर्ट आदि ना तो

अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये है व ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये गये है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर आज दिनांक को उनका कोई कब्जा काश्त हो व अपीलांट/वादीगण के अभिकथनों को कोई बल प्राप्त होता हो। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट वादगत् भूमि की धोषणा करवाने के अधिकारी नहीं माने जा सकते।

(8) अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए, कायम की गई तनकीयात् का विस्तृत विवेचन करते हुए, स्टेट का जवाब आदि लेकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट का कथन कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में सही रूप से तनकीयात् को कायत नहीं किया गया है व ना ही तनकीयात् को साबित करने का भार सही रूप से पक्षकारान् पर डाला गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अपीलांट अपने कथनों, राजस्व रिकार्ड, सबूतों व गवाहन के माध्यम से वादगत् भूमि के बाबत् अपने अधिकारों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश पूर्णतया न्यायसंगत व तर्कसंगत आदेश है। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 18—11—2015 उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर